18.6.18

10/2013 किशनदयाल – हीरालाल

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु पेश :-

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपील मे रेस्पोन्डेन्ट महादेव का देहान्त दिनाक 12-1-2010 को हो चुका । जिसकी जानकारी उसकी [illegible] नोटिस के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र माo न्यायालय मे पेश करने पर हुई जिस पर यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब पेश किया महादेव के कुल वारिसान । से 15 है जिनको रेकार्ड पर लिया जावे ।

अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट सं0-5 महादेव एक [illegible] के [illegible] है तथा एक ही जाति के है जिससे अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट महादेव की मृत्यु की जानकारी शुरु से ही रही है। इसके बाद भी अपीलान्ट ने यह अपील एक मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर पेश की है इस कारण अपीलान्ट की अपील अबेट हो चुकी है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ न तो कोई शपथ पत्र पेश किया है और न ही दफा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र ही पेश किया है । अतः अपीलान्ट का प्रा0 पत्र कायम मुकाम खारिज कर अपील को अबैट किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 16-3-2017 को पेश किया है जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10/2013 शिम्भूदयाल-- हीरालाल

दिनांक	आज्ञा पत्र	

रेस्पोन्डेन्ट महादेव की मृत्यु दिनांक 12-1-2010 को होना अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है तथा अपील दिनांक 13-12-2012 को पेश की अर्थात अपील महादेव के मरने के बाद पेश की है । यह प्रार्थना पत्र 7 वर्ष 2 माह बाद पेश किया गया है जबकि मृतक महादेव एवं अपीलान्ट एक ही ढाणी के रहने वाले एक ही जाति समुदाय के है। अपीलान्ट को महादेव की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही रही है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया तथा ना ही दफा -5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का अबेटमेन्ट को सेटअसाईड करने का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । इस प्रकार अपीलान्ट ने कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र मियाद के बाहर पेश किया है तथा यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है । जिससे अपीलान्ट का यह प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से अबेट होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

18/6/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर